पश्चिम बंगाल राज्य

बनाम

कैलाश चंद्र पांडे

13 अक्टूबर, 2004

[डी.एम. धर्माअधिकारी और ए.के. माथुर, जेजे.]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988-धारा 7- अभियुक्त की अवैध संतुष्टि हेतु धन की मांग- अभियुक्त को पकड़ा गया एवं उससे मुद्रा नोट जप्त किया गया- अभियोजन पक्ष की दुबर्लता के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया- आदेश पारित – अभियुक्त के जप्ती दस्तावेजात पर हस्ताक्षर नहीं होना, करेंसी नोट और पैंट को फॉरेंसिक रासायनिक जांच के लिए न भेजना, पैंट लेने के बाद अभियुक्त को पहनने के लिए दिया गया पायजामा न जब्त करना, बाएं हाथ की जेब में रखा गया पैसा लेकिन दाहिने हाथ से हाथ धोना, अभियुक्त को पैसे देने से पहले पारित किए गए बिल और लिफाफा न दिखाना अभयोजन वर्णन को अंसभव नही बनाता। पर्याप्त, ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर अभियोजन वर्णन यदि टिका हो तो दोषिसिद्वि उचित है- अतः उच्च न्यायालय के आदेश अपास्त किया जाता है।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 136- अपीलीय न्यायालय द्वारा-साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन- चूँकि निचली अदालत सबूतों की सराहना करने

के लिए बेहतर स्थिति में है, इसलिए अपीलीय अदालत को सबूतों की पुनः सराहना करने में धीरज/ध्यान रखना चाहिए-निचली अदालत द्वारा की गई विवेचन को बिना ठोस कारणों के दरकिनार नहीं करना चाहिए।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, परिवादी को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक निश्चित अवधि के लिए सफाई की मंजूरी दी गई थी। इसके द्वारा भुगतान हेतु बिल दिया गया था। प्रतिवादी-उप प्रबंधक (हवाई अड्डा) ने बिलों को पारित करने के लिए अवैध धन की मांग की। परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद अभियुक्त को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। अभियुक्त को पकड़ा गया एवं उससे मुद्रा नोट जप्त किया गया। अभियुक्त् पर आरोप विरिचत किए गए। अभियोजन पक्ष के गवाहों को परीक्षित किया गया। विचारणीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई गयी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को इस आधार पर बरी कर दिया कि जब्ती सूची में आरोपी के कोई हस्ताक्षर नहीं लिए गए थे; कि मुद्रा नोट और पैंट को रासायनिक जांच के लिए फोरेंसिक प्रयोगशाला में नहीं भेजा गया था; कि आरोपी को पैंट लेने के बाद पहनने के लिए दिया गया पायजामा पेश नहीं किया गया था; कि पैसे बाएं हाथ की जेब में रखे गए थे लेकिन हाथ धोने की राशि दाहिने हाथ से ली गई थी, विवादित बिल में अंकित राशि टेंडर के पूर्व जारी कर दिये गये थे एवं राशि वाले लिफाफे को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:-

1.1. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष में कोई कमी नहीं थी। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोन को दोषिसिद्व हेतु पयार्प्त, ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किये थे किन्तु उच्च न्यायालय द्वारा सरलता से अभियोजन वर्णन को अपर्याप्त माना जाना उचित नहीं था। [449-एफ-एच]

1.2. जब्ती सूची में अभियुक्त के हस्ताक्षर न होने के संबंध में अनुसंधान अधिकारी द्वारा कथन किया गया था कि अभियुक्त ने जब्ती सूची में हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। यदि वह हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो अभियोजन पक्ष उसे जब्ती ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। अतः मात्र इस कारण से कि अभियुक्त् ने जप्ती ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किये, अभियोजन वर्णन को संदेहास्पद नहीं बनाता है। [447-जी-एच]

1.3. जब मुद्रा नोटों को फेनोल्फथेलिन पाउडर के साथ अभियुक्त द्वारा मिश्रित किया गया - अभियुक्त के हाथ पर एवं पेंट की जेब को पानी से धोया गया तो पानी का रंग गुलाबी हो गया। हाथ एवं पेंट के धुलाई को बोतल में रख रसायिनक जांच के लिए भेजा गया, जो अभियुक्त् को अपराधिक कृत्य से जोड़ने के लिए पर्याप्त हैं। मात्र यह तथ्य कि मुद्रा को एवं पेंट को एफएसएल जांच हेतु नहीं भेजा गया, अभियोजन वर्णन को

नकारने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। इसके अतिरक्त अभियुक्त की पेंट को न्यायालय के समक्ष पेश कर प्रदर्शित करवाया गया था जिसकी अभियोजन साक्ष्य द्वारा सही पहचान की गयी। यह बहुत अजीब बात है कि आरोपी को जो पायजामा पहनने के लिए दिया गया था, उसे जब्त करने या अदालत के समक्ष पेश करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि आरोपी को बिना कुछ पहने नग्न होने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी क्योंकि उसकी पैंट पहले ही जब्त कर ली गई थी। [**448**–ए-सी]

1.4. अभियोजन पक्ष के सम्पूर्ण वर्णन पर पर इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि जब पैसे कथित रूप से आरोपी के दाहिने हाथ से प्राप्त हुए थे, तो इसे बाएं हाथ की जेब में रखा गया था, लेकिन दाहिने हाथ से ही हाथ धोए गए थे क्योंकि आरोपी का ऐसा आचरण मानव आचरण का सामान्य तरीका है। इसके अतिरक्त, आरोपी को करेंसी नोट मिल गए हैं और हाथ धोने और पतलून धोने के बाएं हाथ की जेब के बाद, पानी का रंग गुलाबी हो गया है। अतः इन दोनों साक्ष्य का एक साथ विवेचन करने पर, अभियोजन पक्ष पर कोई संदेह नहीं है। [448 -डी-ई]

1.5. दी गई अवधि के लिए शिकायतकर्ता के बिल पहले ही पारित हो चुके हैं और आरोपी को पैसे देने से पहले भुगतान किया गया था, यह अभियोजन मामले पर अविश्वास करने का आधार नहीं है। दरअसल,

आपत्तियां उठाई गई थीं और बिलों में कटौती की गई थी और शिकायतकर्ता से पैसे की मांग की जा रही थी ताकि उसके बिलों पर आपत्ति न हो या देरी न हो और भविष्य में कोई कटौती न की जाए। बिलों के अनुसार पैसे को आसानी से जारी करने की सुविधा के लिए मुख्य रूप से अवैध उद्देश्य के लिए आरोपी को पैसे का भुगतान किया गया था। इसके अलावा, यह आरोप कि बिल पहले पारित किए गए थे और बाद में शिकायतकर्ता द्वारा जाल बिछाया गया था, जो शत्रुतापूर्ण रूप से प्रेरित था और आरोपी को फंसाने में रुचि रखता था, अभियोजन की कहानी को अधूरा नहीं कर सकता। [448-एफ-जी]

1.6. लिफाफा पेश न करने का कोई परिणाम नहीं माना जा सकता। अभियुक्त द्वारा राशि स्वीकार करना ज्यादा सुसंगत तथ्य है ना कि अभियोजन के गवाहों के मौखिक साक्ष्य जिससे जाहिर है अभियुक्त से राशि बरामद की गयी थी एवं अभियुक्त के हाथ एवं पेंट धोने से पानी का रंग गुलाबी हो गया। [448-एच; 449-ए, बी]

सोम प्रकाश बनाम पंजाब राज्य, [1992] पूरक 1 एससीसी 428; जी.वी.नंजुंदिह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), आकाशवाणी (1987) एससी 2402; यू.पी. राज्य बनाम जगदीश सिंह मल्होत्रा, [2001] 10 एस.सी.सी. 215 और महाराष्ट्र राज्य बनाम पोलोंजी दराबशॉ दारुवाला, [1987] पूरक एससीसी 379, विशिष्ट।

2. अपीलीय न्यायालय को तत्विरत रूप से साक्ष्यों का पुनरावलोकन नहीं करना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा बार बार इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि अधीनस्थ विचारणीय न्यायालय को गवाहो के आचरण देखने का ज्यादा अच्छा अवसर होता है अतः अपीलय न्यायालय को विचारणीय न्यायालय द्वारा किये गये अवलोकन को सरलता से अपास्त नही करना चाहिए जब तक ठोस आधार न हो। [450-ए, बी]

पंजाब राज्य बनाम हरि सिंह और अन्य, एआइआर (1974) एससी 1168; खेम करण और अन्य बनाम यू.पी. राज्य एवं अन्य एआइऔर (1974) एससी 1567; राजस्थान राज्य बनाम भवानी और अन्य, [2003] 7 एससीसी 291 और दिल्ली सरकार एन.सी.टी. बनाम जसपाल सिंह, [2003] 10 एससीसी 586 का अवलोकन किया गया है।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं. 1406/2003।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के सी.आर.ए. सं. 192/2000 के निर्णय और आदेश दिनांक 9.12.2002 से।

अपीलार्थी की ओर से ए. सुब्बा राव, विष्णु शर्मा और श्रीमती अनिल कटियार।

प्रत्यर्थी के लिए प्रदीप घोष, बिजन कुमार घोष और जी.वी.आर. चौधरी उनके साथ।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश श्रीमान ए.के. माथुर द्वारा सुनाया गया।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09-02-2002 सी.आर.ए (2000) की अपील की गयी कि विद्वान एकलपीठ द्वारा अतिरक्त जिला एवं सेशन न्यायालय एवं विशिष्ठ न्यायालय, 3, बारासत, 24 द्वारा प्रकरण विशिष्ठ प्रकरण में पारित आदेश जिसमें स्पेशल केस नं. 2 में न्यायालय द्वारा अभियुक्त् को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1997, में दोष सिद्ध किया गया एवं एक साल के कठोर कारावास, एक हजार रूपये का जुर्माना अदम अदायगी में एक माह का अतिरक्त कठोर कारावास से दंडित किया गया था, को अपास्त किया गया।

इस अपील के निस्तारण हेतु आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। 23 मई 1996 को मैसर्स रक्षक सुरक्षा सेवाओं के मालिक शंकर प्रसाद सेनगुप्ता ने पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, कलकत्ता के समक्ष एक शिकायत दर्ज की, जिसमें कहा गया कि उन्हें 3 दिसंबर 1994 के पुरस्कार पत्र के माध्यम से कलकत्ता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर न्यू डोमेस्टिक टर्मिनल कॉम्प्लेक्स में सफाई का ठेका दिया गया था, दिसंबर 21, 1994 से दो साल के लिए। प्रथा के अनुसार, उन्हें उप महाप्रबंधक (हवाई अड्डे) के कार्यालय में बिल जमा करने की आवश्यकता थी और उसके बाद प्रस्तुति पर पहाड़ियों को

प्रतिवादी के तहत कार्य करने वाले हाउस कीपिंग विभाग द्वारा संसाधित किया गया था। भुगतान के लिए बिल पारित करने का अंतिम प्राधिकारी अभियुक्त-प्रतिवादी था। यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी-प्रतिवादी ने बिलों को पारित करने के लिए अवैध रूप से पैसे की मांग की, जिसे शिकायतकर्ता-शंकर प्रमाद सेनगुप्ता (पी.डब्ल्यू-3) ने 21 मई, 1996 तक प्रबंधित किया था। पी.डब्ल्यू-3 ने रुपये की राशि के लिए एक बिल प्रस्तुत किया। 23 मई, 1996 को 1,39,000 और आरोपी-प्रतिवादी से उक्त विधेयक पारित करने का अनुरोध किया। अभियुक्त-प्रतिवादी ने जोर देकर कहा कि जब तक पी.डब्ल्यू-3 5000 रुपये की राशि का भुगतान नहीं करता, वह बिल पारित नहीं करेगा। आरोपी-प्रतिवादी ने पी.डब्लू-3 को 24 मई 1996 को अपने जी ऑफिस में दोपहर के भोजन के बाद 5000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। चूँकि पी.डब्ल्यू-3 का उक्त राशि का भुगतान करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने पुलिस अधीक्षक, सी.बी.आई.; के समक्ष एक लिखित शिकायत दर्ज की। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग उन सभी विवरणों का खुलासा कर रहा है। जिनके आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत अपराध करने के लिए आरोपी-प्रतिवादी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी और श्री एम.एस. हजारी, इंस्पेक्टर, सी.बी.आई. को मामले की जांच सौंपी गई थी। पी.डब्लू. 3 था पुलिस अधीक्षक, सी.बी.आई. द्वारा बुलाया गया। जाल बिछाने के लिए उसके कार्यालय में। आवश्यक विवरण के साथ एक प्री-ट्रैप

मेमो तैयार किया गया था। उस प्री-ट्रैप के अनुसरण में, पीडब्ल्यू-3 सहित एक ट्रैप पार्टी जाल बिछाने के लिए आरोपी प्रतिवादी के कार्यालय के लिए रवाना हुई और उनके साथ दो स्वतंत्र भी थे। गवाह यानी पीडब्ल्यू-4 रतन कृष्ण दास, ओरिमटल बैंक ऑफ का एक कर्मचारी वाणिज्य एवं पी.डब्ल्यू-15 संजय कुमार, बैंक के एक विधि अधिकारी साथ में जांच अधिकारी उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, पैसा सौंप दिया गया था। आरोपी-प्रतिवादी को पीडब्ल्यू-3 और उसने पैसे जेब में डाल लिए। इसके बाद जांच अधिकारी अन्य लोगों के साथ कमरे में दाखिल हुए और उसे जब्त कर लिया पैसे और आरोपी-प्रतिवादी को गिरफ्तार कर लिया। को मंजूरी प्राप्त हुई थी। 10 दिसंबर 1996 और अध्यक्ष द्वारा उचित मंजूरी दिए जाने के बाद, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अभियुक्त-प्रतिवादी ने जनवरी 31, 1997 को विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

आरोपी-प्रतिवादी ने आरोपों से इनकार किया और दलील दी कि उसे गलत इरादे से झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 16 गवाहों से पूछताछ की और बचाव पक्ष की ओर से किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गई। ट्रायल न्यायाधीश ने मामले पर विचार करने, साक्ष्य दर्ज करने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी का अपराध स्थापित पाया और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत आरोपी-प्रतिवादी को दोषी ठहराया और उसे उपरोक्त के अनुसार सजा सुनाई।

उस आदेश के विरुद्ध व्यथित होकर, आरोपी-प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले पर विचार करते हुए और पक्षों की सुनवाई करते हुए आरोपी को सभी आरोपों से इस आधार पर बरी कर दिया कि नोटों को रासायनिक जांच के लिए फोरेंसिक प्रयोगशाला में नहीं भेजा गया था, पायजामा जो आरोपी को पैंट लेने के बाद पहनने के लिए दिया गया था, वही उत्पादित नहीं किया गया था; कि रुपये तो बायें हाथ की जेब में रखे थे, परन्तु दाहिनी ओर से हाथ धो लिये गये थे; आक्षेपित बिलों में कवर की गई राशि धन की कथित निविदा से पहले ही जारी कर दी गई थी और कथित धन वाला लिफाफा प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसलिए, इन कमजोरियों के आधार पर, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने आरोपी-प्रतिवादी को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के इस आदेश से व्यथित होकर, वर्तमान अपील पश्चिम बंगाल राज्य सी द्वारा दायर की गई है जिसका प्रतिनिधित्व सी.बी.आई., एस.पी.ई. द्वारा किया गया है।

इस न्यायालय द्वारा पक्षकारों के अधिवक्तागणों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के मुख्य गवाह पी.डब्ल्यू-3 शंकर प्रसाद सेन गुप्ता है। जिनसे कलकत्ता हवाई अड्डे के सफाई के लिए अनुबंध किया गया था। जो 21 दिसंबर, 1994 से 20 दिसंबर, 1996 तक की अवधि के लिए था। गवाह द्वारा आगे कथन किया है कि मार्च 1996 के

बिल राशि उसके द्वारा देर से प्राप्त किया गया। जबकि अप्रेल माह 1996 की बिल राशि खराब कार्य के कारण कम की गई। तत्कालीन श्री कैलाश पांडे कलकत्ता हवाई अड्डे पर उप महाप्रबंधक (हवाई अड्डा) थे। इस कटौती के बाद उन्होंने महाप्रबंधक और हवाई अड्डा निदेशक, कलकत्ता से मुलाकात की, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। जिस कारण उन्होंने फिर से डिप्टी से संपर्क किया जिन्होने बताया कि उन्हें किसी भी बिल से भविष्य में किसी भी कटौती के खिलाफ स्थायी राहत और समय पर भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रति माह रू. 5000 का भुगतान किया जाना है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वह अवैध मांग से सहमत नहीं थे और उन्होंने उनकी सुरक्षा लेने के लिए सी.बी.आई. से संपर्क किया। उन्होंने कलकत्ता के निजाम पैलेस में अपने कार्यालय में संबंधित पुलिस अधीक्षक, सी.बी.आई. के समक्ष एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। प्रकरण में आगे तथ्य प्रस्तुत है कि उसने 24 मई, 1996 को पुलिस अधीक्षक, सी.बी.आई. को रू.5000 की राशि दी और कुछ रसायनों को मुद्रा नोटों के साथ मिलाया गया और उसे वापस सौंप दिया गया। वह कुछ सी.बी.आई. अधिकारियों के साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, कलकत्ता गए और दो अन्य स्वतंत्र लोग भी उनके साथ मुख्य अधिकारी के पास गए और उनमें से एक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कर्मचारी संजय कुमार (पीडब्ल्यू-15) थे। मुद्रा नोटो की संख्या एस.पी.सी.डी.आई. के कायार्लय में अंकित किए गये एंव हस्ताक्षर किए गये। सभी मुद्रा नोटों का प्रकरण में प्रस्तुत किया गया व

आइटम सं० 10 के अतिरिक्त सभी मिलान किए गये। तत्पश्चात कथन किया गया कि वह संजय कुमार एवं अन्य व्यक्ति के साथ उप महाप्रबंधक के कक्ष में गया एवं श्री पाण्डेय के समक्ष दो व्यक्तियों को अपने दोस्त व साझेदार के तौर पर मिलवाया एवं कहा कि वह 5000 रूपये की राशि लेकर आया है। फिर उसके द्वारा 500-500 रूपये के 10 मुद्रा नोट कुल 5000 रूपये श्री पाण्डेय को दिये गये और श्री पाण्डेय द्वारा राशि परास्त कर जेब मे रख लिया गया। आगे यह कथन किया है कि श्री पाण्डेय को राशि देने के बाद वो कक्ष से बाहर आ गया जहां अन्य व्यक्तिगण के साथ सीबीआई अधिकारी मौजूद थे जिन्हें राशि दे देने की सूचना दी गई। तत्पश्चात शशि पाण्डेय को गिरफतार कर उनसे मुद्रा नोट बरामद किया गया। सीबीआई अधिकारी द्वारा आवश्यक दस्तावेज तैयार कर हस्ताक्षर किए गयें। इसके बाद सीबीआई अधिकारी द्वारा शीशे की बोतल में रसायन लाया गया एवं श्री पाण्डेय के हाथ उससे धुलवाए गये। हाथ धुलवाने के बाद रसायनों को अलग बोतल में रखा गया। इसी प्रकार इसी तरह पैंट की जेब को धोया गया और पानी को एक और कांच की बोतल में रखा गया। सभी बोतलों को सील कर दिया गया था और लेबल चिपकाए गए थे। वही और उन्होंने उन बोतलों पर अपने हस्ताक्षर किए। मुद्रा नोटों को भी सील बंद किया गया एवं गवाह पी.डब्ल्यू-3 से विस्तार में जिरह की गई किन्तु गवाह के वर्णन का खण्डन नहीं हो पाया।

इसके अतिरिक्त गवाह पी.डब्ल्यू-4 रतन कृष्ण दास प्रकरण में चक्षुदर्शी गवाह है। वह ओरिएण्टल बैंक आफ कामर्स बॉबाजार ब्रांच के अधिकारी है। वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर उन्हें 24-05-1996 को पुलिस अधीक्षक सीबीआई के कायर्लय संजय कुमार जो बैंक के विधिक अधिकारी थे, के साथ जाना था। आगे ये कथन किया गया है कि व श्री आर.के. सरकार निरीक्षक सीबीआई एंव एम.एस. हजारी निरीक्षक सीबीआई से मिले और खुद को बुलाने का कारण पूछा। जिस पर उनको बताया गया कि शंकर प्रसाद सैन गुप्ता द्वारा हवाई अड्ड के अधिकारी के विरूद्ध लिखित शिकायत दर्ज कराइ गई है और उसे उनके साथ जाना होगा। चूंकी कैलाश पाण्डेय द्वारा शंकर प्रसाद गुप्ता से अवैध रकम की मांग की गई हैं। गवाह द्वारा आगे कथन किया गया है कि सीबीआई अधिकारी द्वारा शंकर गुप्ता को श्री पाण्डेय को दिये जाने वाले मुद्रा नोट को प्रस्तुत करने को बोला गया है। जिस पर श्री सैन गुप्ता द्वारा 10 मुद्रा नोट 500-500 रूपये के प्रस्तुत किए गये और सीबीआई अधिकारी द्वारा उसे किसी पाउडर से लेपित किया गया है और शंकर सेन गुप्ता को वापस दे दिया गया, यह निर्देश करते हुए कि वो ये पैसे श्री पाण्डेय को पेश करें। आगे कथन किया गया है कि गवाह सीबीआई अधिकारी, संजय कुमार और शंकर प्रसाद सैन गुप्ता के साथ वाहन से कोलकाता हवाई अडडे के लिए रवाना हुआ। संजय कुमार को निर्देशित किया गया कि वो शंकर प्रसाद सैन गुप्ता के साथ बतौर गवाह श्री पाण्डेय को मुद्रा नोट देने के लिए उपस्थित रहें और गवाह को सीबीआई

अधिकारी के साथ श्री पाण्डेय के कायार्लय के बाहर इन्तजार करने को बोला गया। यह प्रस्तुत किया गया है कि कलकत्ता हवाई अडडे पर जाने से पहले मुद्रा नोटो की संख्या पृथक से लिखी गई थी एवं जाल ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी प्राप्त किए गये थे। यह कथन किया गया है कि कलक्ता हवाई् अडडे पर जाने से पहले उसे एक सफेद कागज दिया गया था व उसके बाद किसी तरल पदार्थ से हाथ धोने के लिए कहा गया था जिसके बाद वो तरल पदार्थ गुलाबी रंग का हो गया जिसे शीशे की बोतल में मार्का ए के साथ संरक्षित किया गया। उक्त बोतल को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शंकर प्रसाद सैन गुप्ता संजय कुमार के साथ हवाई अडडे पर श्री पाण्डेय के कक्ष में गए और निर्देशित किया गया कि कक्ष से आने के बाद अपने मस्तक को छूकर संकेत दें कि श्री पाण्डे को पैसे दे दिये गये है। गवाह द्वारा ये कहा गया कि शंकर प्रसाद सैन गुप्ता व संजय कुमार द्वारा बाहर आकर संकेत दिया गया। जिसे गवाह एवं सीबीआई अधिकारी ने देखा। श्री पाण्डेय के कक्ष में घुसने के बाद सीबीआई अधिकारी द्वारा अपना परिचय दिया गया व कथन किया गया कि श्री पाण्डेय ने शंकर प्रसाद गुप्ता से पैसे लिए है। इसके बाद सीबीआई अधिकारी द्वारा श्री पाण्डेय के हाथ धुलवाए गये जिससे पानी गुलाबी हो गया जिस पानी को शीशे की बोतल में मार्का बी संरक्षित किया गया। तत्पश्चात सीबीआई अधिकारी द्वारा पुनः श्री पाण्डेय से मुद्रा नोट निकालने के लिए कहा गया। जिसे श्री पाण्डेय द्वारा स्वंय पेंट की बायीं् जेब से निकाल कर सीबीआई अधिकारी को दिया गया।

श्री पाण्डेय की पेंट ग्रे रंग की हो गई थी। जिस पर उनको कपडे बदलने के लिए कहा गया। तत्पश्चात पेंट की बांयी जेब को भी पानी से धोया गया। जिसका पानी भी गुलाबी रंग का हो गया। उस पानी को भी शीशे की बोतल में मार्का सी में संरक्षित किया गया। इसके बाद मुद्रा नोटों को जप्त कर जप्ती सूची बनाई गई व गवाह के हस्ताक्षर करवाए गये। शीशे की बोतल जिसमें श्री पाण्डेय के हाथ धुलवाए गये थे वजिससेपेंट की बायी जेंब धुलवाई गई थी उनको भी सील बंद किया गया व चेपा लगाया गया जिस पर भी गवाह के हस्ताक्षर प्राप्त किए गये। ऐसा कथन किया गया है कि श्री पाण्डेय के पेंट की पतलून को भी जप्त किया गया था।

इस संबंध में अगला गवाह पी.डब्ल्यू-15 श्री संजय कुमार जो सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के विधिक अधिकारी है। तत्कालीन ओरिएटल बैंक आफ कामर्स के कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय में बतौर विधिक अधिकारी पदस्थापित थे। क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा उन्हें सीबीआई अधिकारी के साथ निजाम पेलेस कलकत्ता जाने के लिए निर्देशित किया गया। जहां जाने पर उन्हें पुलिस अधीक्षक के कक्ष में बुलाया गया था। उनका परीचय सीबीआई अधिकारी द्वारा श्री सेन गुप्ता के करवाया गया और बताया गया कि कलकत्ता अन्तराष्ट्रीय हवाई् अडडे पर किसी अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगे जाने के संबंध् में जाल बिछाया जा रहा है चूंकी उसने श्री सेन गुप्ता से रिश्वत की मांग की है। उसे समझाया गयाकि जाल किस प्रकार बिछाया जाएगा। मुद्रा नोटो को दिया गया एवं उनके संख्या को सीबीआई अधिकारी द्वारा नोट किया गया।

इसके बाद कोई रसायनिक पाउडर करन्सी नोट पर लगया गया। गवाह द्वारा आगे कथन किया गया है कि उसे बताया गया कि जब यह पाउडर करन्सी मुद्रा पर लेपित किया जाता है और किसी के द्वारा छुआ जाता है तो उसके हाथ धुलवाने से पानी गुलाबी हो जाता है। इसका प्रदर्शन भी गवाह को दिया गया। उसके बाद गवाह अन्य लोगो के साथ कलकत्ता हवाई अडडे के लिए रवाना हो गया और उन्हे निर्देशित किया गया कि श्री सेन गुप्ता संबंधित अधिकारी को उसके कक्ष में पैसे देंगे और अपना मस्तिष्क दायें हाथ से छूकर संकेत देगें की पैसे ले लिए गये है। आगे यह क्थन किया गया है कि गवाह एंव श्री सेन गुप्ता श्री पाण्डेय के कक्ष में घुसे जहां एक व्यक्ति भी खडा था जो तब तक चला गया था। श्री सेन गुप्ता ने श्री पाण्डेय से कुछ वार्तालाप की जिसके बाद श्री पाण्डेय को मुद्रा नोट दे दिये गये जिसे पेंट की जेब में रख लिए गये जिसके बाद वो दोनो बाहर आ गये। कक्ष से बाहर आने के बाद श्री सेन गुप्ता द्वारा संकेंत दिया गया कि सभी सीबीआई अधिकारी जो बाहर खडे है, श्री पाण्डेय के कक्ष में आकर उनको पकड लिया यह कहते हुए कि उसने पैसे लिए है और पैसे निकालने के लिए कहा गया जिस पर पहले तो उसने पैसे लेने से इन्कार किया किन्तु फिर जेब से निकालकर दे दिये। श्री पाण्डेय की पेंट के पॉकेट को नल के पानी से धोया गया तो पानी गुलाबी हो गया। गुलाबी रंग के पानी को शीशे की बोतल में संरक्षित कर सील बंद किया गया। शीशे की बोतल पर कागज चस्पा कर हस्ताक्षर किए गये। मुद्रा नोटो का मिलान सीबीआई

अधिकारी द्वारा लिखे गये नम्बर से किया गया जो मिलान करते हुए पाए गये। डीजीएम द्वारा पहने गये पेंट को भी जप्त किया गया व फर्द जप्ती पर हस्ताक्षर प्रप्त किए जसकी पहचान गवाह द्वारा न्यायालय में की गई थी एवं मेट प्रदर्श वी. से मार्का किया गया। आगे यह भी कथन किया गया कि जप्त किए गये मुद्रा नोट का मिलान सीबीआई अधिकारी द्वारा लिखे गये नम्बर से किया गया तो सभी मिलान हो गये मात्र आइटम 10 में गलती थी। यह भी स्पष्ट किया गया कि मुद्रा नोटो की सूची में सिर्फ एक गलती थी जिस पर सीई लिखा गया जबकि वो सही था किन्तु जप्त किए मुद्रा नोटो की संख्या लिखे हुए संख्या से मिलान खा रही थी। ट्रेप आपरेशन से बाद ट्रेप मेमो सीबीआई अधिकारी, द्वारा बनाया गया व हस्ताक्षर लिए गये। गवाह की विस्तृत रूप से जिरह की गई व उससे पूछा गया कि क्या हवाई् अडडे पर घुसने से पहले उसके द्वारा प्रवेश पत्र बनावाया गया था या नही जिस पर गवाह द्वारा जबाव दिया गया कि उसने प्रवेश पत्र नही लिया क्योंकि वो सीबीआई अधिकारी के साथ था। गवाह द्वारा आगे ये स्वीकार किया गया कि जब वो डीजीएम हवाई अडडे के कक्ष में घुसा तो वो किसी से बात कर रहा था किन्तु वो आदमी तुरन्त ही चला गया। गवाह द्वारा आगे ये भी स्वीकार किया गया कि उसके कक्ष से बाहर निकलते ही सी. बी.आई अधिकारी को संकेत दे दिया गया कि पैसे दे दिये है। श्री पाण्डेय ने अपने कक्ष से बाहर आए व कान्फेंस कक्ष में चले गयें। गवाह द्वारा ये भी कथन किया गया है कि पैसे देने के बाद वो गलियारे में आ गये जहां

सी.बी.आई अधिकारी इन्तजार कर रहे थें। गवाह द्वारा इस तथ्य से इन्कार किया गया कि अभियुक्त से पेंट जप्त किया गया हो।

गवाह पी.डब्ल्यू 16 मनोरंजन सिंह हजारे निरीक्षक सी.बी.आई. के द्वारा कथन किया गया कि लिखित परिवाद पर श्री के. पाण्डेय विरूद्ध केस दर्ज किया गया और ओरिंएटल बैंक आफ कामर्स, क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता से दो गवाहों को तलब किया गया। जिस पर दो गवाह आर.के दास एवं श्री संजय कुमार बुलाए गये। उन्हें ट्रेप कार्यवाही के संबंध में समझाया गया एवं श्री सेन गुप्ता को दिये गये मुद्रा नोटो की संख्या की सूची बनाई गई। मुद्रा नोटो पर फनोलफथैलीन पाउडर लगाया गया। ट्रेप मीमों तैयार किया गया। सभी मुद्रा नोट श्री सेन गुप्ता को दिये गये कि वो अभियुक्त को दे देवें। तत्पश्चात उनके द्वारा संकेत दिया गया कि मुद्रा नोट श्री पाण्डेय को दे दिये गये है। संकेत मिलने के बाद वो गये व मुद्रा नोटो को अभियुक्त के पास के जप्त किया व उसके हाथों को सोडा पानी से धुलवाया। पानी का रंग गुलाबी हो गया जिसे शीशे की बोतल में रखा गया। बोतल को सील बंद कर मार्का अंकित किया गया एवं हस्ताक्षर प्राप्त किए गये। तत्पश्चात पैसे को बायें जेब से निकाला गया व जप्त किया गया। गवाहों के समक्ष मुद्रा नोटों की संख्या ट्रेप मीमों में अंकित संख्या से मिलान करवाया गया। इसके बाद जप्ती सूची बनाई गई, नोटो को सील किया गया व गवाहों के हस्ताक्षर करवाए गये। इसके बाद पश्चात ट्रेप मीमो तैयार किया गया। अभियुक्त के लिए एक पजामें का इन्तजाम किया गया ताकि वो अपनी पेंट

उतार सके। इसके बाद पेंट की जेब को पानी से धोया गया। जो कि गुलाबी रंग का हो गया। जिसे भी अन्य शीशे की बोतल में सील चस्पा किया गया। अभियुक्त की पेंट को भी जप्त किया गया। इसके बाद गुलाबी रंग वाले तीनों बंद बोतलों को सी.एफ.एस.एल. कलकत्ता भेजा गया व रिपोर्ट प्राप्त की गई। बाद आवश्यक पूर्ति कर चालान पेश किया गया।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य के साथ-साथ दस्तावेजी साक्ष्य के संदर्भ में अपने मामले को प्रमाणित किया है। आरोपी के निजी सहायक की भी पी.डब्ल्यू. 5 यानी पी.डब्ल्यू. 5 के रूप में जांच की गई। देबार्ता मुंशी उन्होंने गवाही दी कि वह प्रासंगिक समय पर अपने कक्ष में थे और उन्हें डी.जी.एम. के खिलाफ आयोजित जाल के बारे में पता चला। उनके पास बिलों को देखने का कोई अवसर नहीं था। उन्होंने कहा कि यह बताना संभव नहीं है कि मैसर्स रक्षक सिक्योरिटी सर्विसेज का अप्रैल, 1996 महीने का बिल किसी अग्रेषण पत्र के साथ संलग्न था या नहीं। उन्होंने कहा कि श्री सेनगुप्ता अपनी पहाड़ियों की स्थिति का पता लगाने के लिए कभी उनके पास नहीं आए। उन्होंने इस बात का भी समर्थन किया कि जिस समय श्री सेनगुप्ता आये, उस समय सिंगापुर एयरलाइंस का एक प्रतिनिधि डी.जी.एम. के कक्ष के अंदर था। उन्होंने जो घटना घटी है उसके बारे में अहो बताया है. पी.डब्लू.6 अंबर कुमार मंडल इंडियन एयरलाइंस के उप प्रबंधक (वित्त) थे। पी.डब्लू.7 मोर्त्यजीत पाल है, उसने गवाही दी है कि वह लेखा प्रबंधक था और ठेकेदारों द्वारा बिल प्रस्तुत किए जाते हैं। उन्होंने

गवाही दी कि के बिल। मैसर्स रक्षक सुरक्षा पश्चिम बंगाल राज्य कलाशचंद्र पांडे जैक मैथ्यू 447 गवाह इसलिए, इस साक्ष्य के सर्वेक्षण से पता चलता है कि जाल कैसे बिछाया गया था। आरोपियों के पास से बरामद हुए नोट इस साक्ष्य पर मुकदमा चलेगा। अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया लेकिन अपीलीय अदालत ने विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त कारणों से निष्कर्ष को उलट दिया। हम जांच करेंगे। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिये गये प्रत्येक कारण का पता लगाना अभियोजन की कहानी प्रस्तुत करने के लिए वे पर्याप्त हैं या नहीं असंभव। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया पहला कारण यह था कि नहीं आरोपी का नाम सीनाइट सूची में लिया गया है, यह बताया गया है। सितंबर, 1995 से मार्च, 1996 की अवधि के लिए श्री सेनगुप्ता की सेवाएं सीबीएल पी.डब्ल्यू. 8 ए.जी.II, एफ.सी. द्वारा जब्त कर ली गईं। हवाईअड्डा प्राधिकरण में और वह नियमों के अनुसार लेखा प्रबंधक के समर्थन पर बिल तैयार करता था। उन्होंने गवाही दी कि वे ठेकेदारों में से एक होने के नाते श्री शंकर प्रसाद सेनगुप्ता को नहीं जानते थे। उन्होंने स्वीकार किया कि अप्रैल, 1996 माह के बिल में रु. श्रम शुल्क के लिए 1,03,316 रुपये का दावा किया गया था। पर्यवेक्षकों को भुगतान के संबंध में 8,701 रुपये का दावा किया गया था और वह यह नहीं कह सकते कि वेतन शीट में रुपये का वितरण किया गया था या नहीं। 96,822.85 पी. मजदूरों और पर्यवेक्षकों को भुगतान के संबंध में कुल मिलाकर किया गया था। उन्होंने कहा कि इसके लिए

अंकगणितीय गणना की आवश्यकता है और चूंकि उक्त वेतन शीट में प्रत्येक पृष्ठ का कुल योग शामिल नहीं है, इसलिए वह यह नहीं कह सकते कि क्या 15.194.15 पी पी.डब्ल्यू.9 रुपये का फर्जी दावा किया गया है। एयरपोर्ट का हाउस कीपिंग स्टाफ था। उन्होंने बताया कि सफाई कार्य उनकी देखरेख में किया जा रहा है। पीडब्ल्यू. 10 अतिरिक्त महाप्रबंधक (जी.एफ.एस.) हैं। उन्होंने बताया कि वह सतर्कता अधिकारी थे और उन्हें श्री कैलाश पांडे के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली। पीडब्ल्यू. 11 कलकत्ता हवाई अड्डे के सहायक कानून प्रबंधक हैं। पीडब्ल्यू. 12 यूआर है. खालिदकर, हवाई अड्डे के वरिष्ठ प्रबंधक। पीडब्ल्यू. 13, प्रसून कुमार मित्रा जो इंस्पेक्टर, सी.बी.आई. थे। उन्होंने ट्रैप चरण में की गई औपचारिकताओं के बारे में बताया। उन्होंने गवाही दी कि उन्हें श्री आर.के. के कक्ष में बुलाया गया था। सरकार, तत्कालीन डी.एस.पी., सी.बी.आई., और उन्हें जाल के बारे में पता चला। उन्होंने श्री सेनगुप्ता द्वारा करेंसी नोटों को सौंपने के बारे में भी बताया और उक्त नोटों को फिनोलफथेलिन पाउडर से लेपित किया गया था जो धोने पर गुलाबी हो गए, प्री-ट्रैप के बारे में और गवाहों के हाथ भी धोए गए और अन्य सभी विवरण जो पहले ही दूसरे द्वारा अपदस्थ कर दिये गये हैं।

इस प्रकार साक्ष्य के अवलोकन से जाहिर है कि किस प्रकार अभियुक्त का जाल बिछाया गया व मुद्रा नोट उससे जप्त किए गये। इस साक्ष्यों के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा मुलिजम का दोष सिद्ध किया गया

किन्तु अपीलीय न्यायालय अर्थात एकलपीठ द्वारा उसे अपास्त किया गया। इस न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के एकलपीठ द्वारा दिये गये कारणों का अवलोकन किया जावेगा कि अभियोजन पक्ष का वर्णन साबित है अथवा नही। विद्र एकल पीठ द्वारा पहला कारण दिया गया है कि जप्ती सूची पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नही है। इस संबंध में अभियोजन गवाह अनुसंधान अधिकारी द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त ने जप्ती सूची पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है और यदि अभियुक्त सूची पर हस्ताक्षर करने से मना करे तो अभियोजन द्वारा उसके साथ जबरदस्ती नही की जा सकती। अतः मात्र इस कारण से कि अभियुक्त के हस्ताक्षर जप्ती सूची पर नही है अभियोजन वर्णन पर संदेह नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार विद्वान एकल पीठ द्वारा कारण यह भी दिया गया है कि मुद्रा नोट एवं पेंट को रसायनिक जांच हेतु एफएसएल नही भेजा गया। जब मुद्रा नोटों को फेनोलफथैलीन पाउडर के साथ मिलाया गया और अभियुक्त के हाथ धुलवाए गये तो पानी का रंग गुलाबी हो गया। इसी प्रकार अभियुक्त की पेंट की जेब को भी धोया गया तो वह पानी भी गुलाबी हो गया। जिन्को शीशे की बोतल में रसायनिक जांच हेतु भेजा गया जो कि अभियुक्त को अपराध से जोडने के लिए पर्याप्त है। मात्र इस कारण से कि नोटो को एफएसएल जांच हेतु नही भेजा गया। अभियोजन पक्ष पर संदेह प्रकट नही करता। अभियुक्त के पेंट को न्यायालय में पेश कर प्रदिशर्त कराया गया जिसकी पहचान गवाह पी.डब्ल्यू 15 संजय कुमार द्वारा बतौर मार्का 5 की गई।

अभियुक्त के पहने हुए पजामे को जप्त कर न्यायालय में पेश नही कराया गया क्योंकि अभियुक्त के पहने हुए पेंट को पूर्व में ही जप्त कर लिया था। इसलिए अभियुक्त के पहने हुए पजामें को जप्त नही करने से कोई प्रभाव नही पडता। एक आधार ये भी दिया गया है कि जब पैसे अभियुक्त द्वारा दायें हाथ से लिए गये तो वह बायी तरफ की जेब मे कैसे रखे गये और सफाई सिर्फ दायें हाथ की गई। एक मात्र ये कारण अभियोजन पक्ष की सम्पूर्ण वर्णन पर अविश्वास प्रकट नही करता क्योंकि एक व्यक्ति सामान्य तौर से दायें हाथ से कुछ स्वीकार करता है और यदि पैसे बायीं जेब में रखे गये तो इसके लिए अभियोजन पक्ष जिम्मेदार नही है। जब अभियुक्त द्वारा मुद्रा नोट प्राप्त किए गये व हाथ धुलवाए गये तो पानी का रंग गुलाबी हो गया और बायीं जेब को भी धोया गया तो वो पानी भी गुलाबी हो गया। अतः दोनो साक्ष्यों का यदि एक साथ अवलोकन करें तो अभियोजन पक्ष का केस संदेह से परे साबित है। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा ये तर्क दिया गया है कि परिवादी को बिलों का भुगतान संबंधित अवधि का पूर्व से ही हो गया था किन्तु ये भी अभियोजन पक्ष पर संदेह प्रकट नही करता बल्कि बिलों पर आपत्ति उठाई गई एंव कटौती के लिए और श्री सेन गुप्ता से पैसे मांगे गये ताकि भविष्य में बिलों पर आपत्ति न उठाई जावे व कटौती न की जाए। अभियुक्त को बिलों के बिना रूकावट पास होने के लिए पैसे दिये गये। अतः अभियोजन पक्ष के वर्णन पर संदेह प्रकट करने के लिए ये पर्याप्त आधार नही है कि राशि मांगने से पहले बिलों का भुगतान कर

दिया गया। अन्त में विद्वान एकल पीठ द्वारा अस्पष्ट आधार एक दिया गया है कि लिफाफा जिसमें मुद्रा नोट रखे गये थे वो पेश नही किया गया है किन्तु उक्त से प्रकरण पर कोई प्रभाव नही पडता। बल्कि ये सुसंगत है कि अभियुक्त द्वारा पैसे लिए गये जो कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य से स्पष्ट है कि अभियुक्त से पैसे बरामद किए गये है और जिन हाथों से पैसे स्वीकार किए उनको धोने से गुलाबी रंग के हो गये है और इसी प्रकार अभियुक्त के पेंट के पोकेट भी धोने से गुलाबी हो गये। इस प्रकार परिस्थितियों की सम्पूर्ण श्रृंखला से सम्पूर्ण अभियुक्त पक्ष का वर्णन साबित है।

अभियुक्त प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा गवाहों के बयानों में मामूली विसंगति पेश की गइ है कि क्या पैसे सिंगापुर एयरलाइन के प्रतिनिधि से सामने दिये गये और उन्हें पेश नही किया गया। गवाह पीडब्ल्यू 5 देववृत मुंशी द्वारा कथन किया गया है कि उसे नहीं पता कि व्यक्तिगण अभियुक्त से कक्ष में मिले थे या नहीं। बिलों का भुगतान पहले ही हो गया था व जाल परिवादी के शिकायत पर बिछाया गया था। जिसमें परिवादी की दुर्भावना थी की अभियुक्त को फसाया जावें। उपरोक्त सभी विसंगितयां अभियोजन पक्ष पर संदेह प्रकट नही करती। इसी प्रकार के प्रयास लिखित प्रस्तुति पर मामूली विसंगति दिखाने से लिए किए गयें। प्रकरण में आवश्यक तथ्य ये है कि परीवादी से अभियुक्त द्वारा पैसे लिए गये व अनुसंधान अधिकारी द्वारा उसे बरामद किया गया और पैसों का

भगुतान अवैध कार्य के लिए मांगा गया था कि पीडब्ल्यू 03 शंकर प्रसाद गुप्ता के बिलों का भुगतान हो जाएगा व कटौती नहीं की जावेगी।

इस न्यायालय का ध्यान न्यायालय द्वारा पारीत आदेशी की तरफ की आकर्षित किया गया सोम प्रकाश बनाम पंजाब राज्य 1992 एसयूपीपी 1 एससीसी 428] जी.वी नजूनदिया बनाम दिल्ली प्रशासन एआइआर (1987) एससी 2402; यूपी राज्य बनाम जगदीश सिंह मल्होत्रा [2001] 10 एससीसी 215] महाराष्ट्र राज्य बनाम पलौंजी दारबशाह दारूवाला 1987 पूरक एसीसी 379। सभी न्यायिक दृष्टातों के तथ्य अलग है और सभी में ये तथ्य पाए गये थे जिससे अभियोजन पक्ष वर्णन पर संदेह प्रकट हुआ था। अभियोजन पक्ष द्वारा पयार्प्त एवं ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए गये है जिससे अभियुक्त विरूद्ध प्रकरण संदेह से परे साबित होता है किन्तु विद्वान एकल पीठ उच्च न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष की मामूली छोटे विसंगित को देखा गया सम्पूर्ण वर्णन पर संदेह किया गया जोकि गलत है। ये न्यायालय सन्तुष्ट है कि पत्रावली पर पर्याप्त एंव ठोस आधार प्रस्तुत है जिससे अभियुक्त का दोष साबित है।

ये पुनः दोहराना अनावश्यक है कि अपीलीय न्यायालय को साक्ष्य के पुनः अवलोकन में ध्यान एवं धैर्य देना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा बार बार इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि अधीनस्थ विचारणीय न्यायालय के समक्ष गवाहों के तौर तरीके को देखने का अवसर होता है और वो

ज्यादा उचित स्थित में होता है कि उसका अवलोकन करें।,इसलिए अपीलीय न्यायालय ठोस कारण के बिना आसानी से बिचारण न्यायालय के अवलोकन को अपास्त नही करना चाहिए। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत पंजाब राज्य बनाम हरीसिंह एंव अन्य एआइऑर (1974) एससी 1168 का अवलोकन किया गया कि:

> "अनुच्छेद १३६ अन्तगर्त उच्चतम न्यायालय के दोषमुक्ति के निर्णयों में दखल अन्दाजी की शक्तियों का प्रयोग का आधार दोषसिद्धी के दखल अन्दाजी आधार से अलग नही है। ये सिद्वान्त सभी फौजदारी अपीलों के लिए समान है कि उच्चतम न्यायालय साक्ष्यों के अवलोकन पर अपना विचार विकल्प में रखने का प्रयास न करें। यदि उच्चतम न्यायालय का निर्णय दो में से एक विकल्प पर आधारित है किन्तु यदि उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण गलत मान्यता पर आधारित है या गलत कारणों पर आधारित है तो उच्चतम न्यायालय का ये कर्तव्य है कि वो दोषसिद्वी अथ्वा दोष मुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप कर अन्याय से रोके।"

इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत खेमकरण व अन्य बनाम यूपी राज्य एआइऑर (1947) एससी 1567 में पारित है कि

"मात्र सम्भावना अथवा संदेह बिना अन्याय के सम्भावना दोष मुक्ति का आधार नहीं हो सकते यदि अन्यथा विश्वसीन साक्ष्य प्रस्तुत है। यदि विचारणीय न्यायालय का निर्णय विकृति पर आधारित है तो अपीलीय न्यायालय का ये कर्तव्य है कि सही अवलोकन कर सही आदेश पारित करें।"

इसी प्रकार राजस्थान राज्य बनाम भवानी व अन्य [2003] 7 एसीसी 291 में अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश को चक्षुदर्शी साक्ष्य के अवलोकन बिना अपास्त किया गया। माननीय अधिपत्य द्वारा साक्ष्यों का अवलोकन कर उच्च न्यायायलय के आदेश का अपास्तकिया जाकर विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि की गई। माननीय अधिपत्य द्वारा ये विचारण दिया गया कि अनियमितता] अतिश्योक्ति के बावजूद चक्षुदर्शी के बयान को स्वीकार करना है यदि अभियोजन की पुष्टि होती है।

दिल्ली राज्य बनाम जसपाल सिंह [2003] 10 एससीसी 586 में पारित है कि माननीय अधिपत्य द्वारा उच्च न्यायालय के दोष मुक्ति आदेश को अपास्त कर अभियुक्त को ठोस एंव पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध किया गया है कि सह अभियुक्त सामान्य मंशा का भागीदार है जिसमें अन्य अभियुक्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया और

माननीय अधिपत्य द्वारा ये पारित किया गया कि सहअभियुक्त की स्वीकारोक्ति की पुष्टि गवाह द्वारा की गई।

उपरोक्त विचारण आधार अपील स्वीकार किया जाता है। विद्वान एकल पीठ उच्च न्यायालय द्वारा सी.आर.ए. 192/2000 में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 09 दिसम्बर 2002 को अपास्त किया जाता है एवं विचारण न्यायालय के दोष सिद्धी एवं दण्डादेश की पुष्टि की जाती है। अभियुक्त जमानत पर है जिसके जमानत मुचलके निरस्त कर आदेश दिया जाता है कि वो सजा भुगतने हेतु समर्पण करें और यदि आज आदेश तारीख से एक माह के भीतर उसके द्वारा समर्पण नहीं किया जाता है अधीक्षक सी.बी.आई. द्वारा उसे गिरफतारी किया जाकर सजा भुगतने हेतु कारावास प्रेषित किया जावें।

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सलौनी सक्सैना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।